रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1533] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2013/आषाढ़ 12, 1935
No. 1533] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2013/ASHADA 12, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2013

का.आ 1987(अ).–यत:, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन **सड़क** परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है:

रा. रा. सं.	सेक्शन	खण्ड किमी से किमी तक	का. आ. सं.	दिनांक
25	लखनऊ-कानपुर	0.000 - 11.380	465(अ)	26.04.2002
25	लखनऊ-कानपुर	11.380-21.800 और 59.500-75.500	196(अ)	06.03.2000
25	लखनऊ-कानपुर	21.800-59.500	1192(अ)	03.12.2001
56ए&बी	लखनऊ-बाइपास	0.000 - 22.850	1192(अ)	03.12.2001
28	लखनऊ-उ.प्र./बिहार सीमा	0.000 - 365.570	465(अ)	26.04.2002

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसार खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था:-

I. उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-25 पर 11.000 किमी से 59.000 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 759(अ), दिनांक 18 मार्च 2009, द्वारा।

II. उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर 8.250 किमी से 70.000 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 2906(अ), दिनांक 14 दिसम्बर 2012, द्वारा।

III. उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर 70.000किमी से 135.000 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 1589(अ), दिनांक 8 जुलाई 2011, द्वारा।

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, दिनांक 31.12.2012 को प्रस्तुत बोलियों हेतु मैसर्स पीएनसी कानपुर अयोध्या टोलवेज प्रा. लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय केबिन सं. 5, एनबीसीसी प्लाज़ा, टावर II, चौथा तल, पुष्प विहार सैक्टर-V, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर रा. रा.-25 के 11.005 किमी से 75.500 किमी तक, रा. रा.-56ए और 56बी के 0.000 किमी से 22.850 किमी तक और रा. रा.-28 के 8.000 किमी से 137.970 किमी तक के कानपुर- अयोध्या खण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 08.04.2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008, द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिसे सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010; सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. 1756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 759(अ), दिनांक 18 मार्च 2009; का.आ.सं. 2906(अ), दिनांक 14 दिसम्बर 2012 और का.आ.सं. 1589(अ), दिनांक 8 जुलाई 2011 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई है या करने से लोप करा दी गयी है, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 198.356 कि.मी हेतु चार या अधिक लेन के उपयोग पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) और बाइपासों के लिए जिनकी कुल लम्बाई 18.959 किमी है, नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से, जो भी बाद में हो, समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
उन्नाव जिले में नवाबगंज गांव के पास रा. रा.-25 पर 39.000 किमी पर	64.495*
बाराबंकी जिले में अहमदपुर गांव के पास रा. रा.-28 पर 53.000 किमी पर	60.341
फ़ैज़ाबाद जिले में रोनाही गांव के पास रा. रा.-28 पर 107.000 किमी पर	73.520

* या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पहले पूरी की जा चुकी वास्तविक लम्बाई/ शेष लम्बाई सौंप देने के पश्चात (58.600 कि मी से 60.200 कि मी तक आरओबी का निर्माण पूरा हो जाने के पश्चात), 64.495 कि मी लम्बाई (अर्थात पूरे टोलिंग खण्ड के लिए) शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहित किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
बाराबंकी जिले में अहमदपुर गांव के पास रा. रा.-28 पर 53.000 किमी पर	12.509	बाराबंकी बाइपास
फ़ैज़ाबाद जिले में रोनाही गांव के पास रा. रा.-28 पर 107.000 किमी पर	6.45	रामस्नेही घाट बाइपास

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00

IndiaCode

रूपए (दो सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक **सड़क** उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे, उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित कराया जाएगा तथा उसमे, उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, वार्षिक तोर पर संशोधन किया जायेगा तथा प्रकाशित कराया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छ: मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी ओर स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र मे प्रकाशित किया जाएगा।

10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से वसूल की जानेवाली परियोजना की पुंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 2948.91 करोड़ रूपए (दो हजार नौ सौ अड़तालीस करोड़ इकानवे लाख रूपए मात्र) है। रियायतग्राही द्वारा टोल का संग्रहण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 और बोली की नियत तारीख तक उसमें आगे किये गये संशोधनों के अधीन, लागू दरों पर किया जायेगा। पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने की तारीख के बाद ली जाने वाली टोल की दरों का घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा। यदि किसी कारण से, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 90 दिन तक पहले/ बाद में कर दी जाती है तो वसूल की जानेवाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इंजीनियर/ स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिन के अन्दर रियायतग्राही को सूचित कर दिया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13-14/सीओ/जीसी/कानपुर-अयोध्या]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2013

S.O. 1987 (E).— Whereas by following notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches of National Highways in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

NH No.	Section	Stretch From km to km	S. O. No.	Date
25	Lucknow - Kanpur	0.000 - 11.380	465(E)	26.04.2002
25	Lucknow - Kanpur	11.380-21.800 and 59.500-75.500	196(E)	06.03.2000
25	Lucknow - Kanpur	21.800-59.500	1192(E)	03.12.2001
56A&B	Lucknow Bypass	0.000 - 22.850	1192(E)	03.12.2001
28	Lucknow – UP/ Bihar border	0.000 - 365.570	465(E)	26.04.2002

IndiaCode

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

(i) Vide S.O. No. 759 (E) dated 18th March, 2009 for the stretch from km 11.000 to km 59.000 on NH-25 in the State of Uttar Pradesh.

(ii) Vide S.O. No. 2906 (E) dated 14th December, 2012 for the stretch from km 8.250 to km 70.000 on NH-28 in the State of Uttar Pradesh.

(iii) Vide S.O. No. 1589 (E) dated 8th July, 2011 for the stretch from km 70.000 to km 135.000 on NH-28 in the State of Uttar Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) on 08.04.2013 with M/s PNC Kanpur Ayodhya Tollways Private Limited having its registered office at Cabin No. 5, NBCC Plaza, Tower II, 4th floor, Pushp Vihar, Sector V, Saket New Delhi-110017 India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for bids submitted on 31.12.2012 for the Operation and Maintenance of Kanpur – Ayodhya section from km 11.005 to km 75.500 on NH-25, from km 0.000 to km 22.850 on NH-56A&56B and from km 8.000 to km 137.970 on NH-28 (hereinafter referred to as the "said section") on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules") and in supersession of the notification number S.O. No. 759 (E) dated 18.03.2009, S.O. No. 2906 (E) dated 14.12.2012 and S.O. No. 1589 (E) dated 08.07.2011, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable

return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of **198.356 km** for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 18.959 km costing each bypass Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 39.000 on NH-25 near village Nawabganj in district Unnao	64.495*
At km 53.000 on NH-28 near village Ahmedpur in district Barabanki	60.341
At km 107.000 on NH-28 near village Ronahi in district Faizabad	73.520

* or the actual length completed before COD. After handing over the balance length (after completion of construction of ROB from km 58.600 to km 60.200), fee shall be levied and collected for 64.495 km length (i.e. for full tolling section).

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	
At km 53.000 on NH-28 near village Ahmedpur in district Barabanki	12.509	Barabanki Bypass
At km 107.000 on NH-28 near village Ronahi in district Faizabad	6.45	Ramsanehi Ghat Bypass

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) for the year 2013-14, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority and will be revised annually and got published in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months from the date of the preceding revision of fee and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The present value of Capital Cost of the Project to be recovered from the date of COD is Rs. 2948.91 crores (Rs. Two Thousand Nine Hundred Forty Eight Crores and Ninety One Lakhs only). From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of rate being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/ postponed upto 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/ Independent Engineers.

[No. NHAI/13-14/CO/GC/ Kanpur – Ayodhya]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054